

अनुसंधान प्रश्न

“भारतीय अदालतें गुजारा भत्ता और भरण-पोषण कैसे तय करती हैं, रजनेश बनाम नेहा के कौन से मापदंड रकम तय करते हैं, बीएनएसएस की धारा 144 के तहत अंतरिम भरण-पोषण क्या है, और क्या कामकाजी जीवनसाथी भी भरण-पोषण मांग सकते हैं?”

कामकाजी जीवनसाथी के भरण-पोषण के अधिकार, रजनेश बनाम नेहा के मापदंड, और बीएनएसएस की धारा 144 के तहत अंतरिम भरण-पोषण की कानूनी रूपरेखा क्या है?

सारांश

भारतीय अदालतों में गुजारा भत्ता और भरण-पोषण का निर्धारण किसी गणितीय सूत्र से नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आवश्यकताओं के संतुलन द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने *Rajnish v. Neha* (2021) में स्थापित किया कि भरण-पोषण का मूल उद्देश्य आश्रित जीवनसाथी को विवाह टूटने के कारण दरिद्रता या आवारागर्दी से बचाना है, न कि दूसरे पक्ष को दंडित करना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 144 के तहत अंतरिम भरण-पोषण न्यायालय द्वारा कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दिया जाने वाला वित्तीय सहारा है, जिसे नोटिस तामील होने के 60 दिनों के भीतर निपटाना अनिवार्य है। कामकाजी होना या कमाने की क्षमता होना मात्र किसी जीवनसाथी को भरण-पोषण प्राप्त करने से अयोग्य नहीं बनाता, बशर्ते उसकी स्वतंत्र आय वैवाहिक घर के जीवन स्तर के अनुसार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अपर्याप्त हो (*Jaswant v. Rekha Rani* (2025))।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	4	2025
22 उच्च न्यायालय • 3 सर्वोच्च न्यायालय		High Court Of Chhattisgarh

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	7
IV. मुकदमे का विवरण	9

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 भरण-पोषण निर्धारण का उद्देश्य और लचीलापन

अदालतों का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विवाह टूटने पर आश्रित पक्षकार दरिद्रता या लाचारी की स्थिति में न आ जाए; इसके निर्धारण का कोई निश्चित या "straitjacket" फार्मूला नहीं है, *Niranjan Singh v. State of Jharkhand* (2023)।

02 रजनेश बनाम नेहा के आधारभूत मापदंड

गुजारा भत्ते की राशि तय करने के लिए न्यायालयों को मुख्य रूप से दोनों पक्षों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, उनकी आवश्यकताएं, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं, वास्तविक आय तथा देनदारियों और मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखना चाहिए, *Md. Irfan Iraqi v. The State of Jharkhand* (2023)।

03 कामकाजी जीवनसाथी के दावे की स्वीकार्यता

जीवनसाथी का कामकाजी होना या केवल कमाने की क्षमता रखना उसके भरण-पोषण के दावे को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं है; मुख्य परीक्षण यह है कि क्या उसकी आय वैवाहिक घर के समान सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, *Aliya Begum v. State of West Bengal* (2024)।

04 प्रकटीकरण हलफनामे की अनिवार्यता

न्यायालयों को दोनों पक्षों से उनकी संपत्तियों और देनदारियों का वास्तविक विवरण देने वाला "Affidavit of Disclosure of Assets and Liabilities" अनिवार्य रूप से मंगाना चाहिए ताकि आय छिपाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके, *G.C. Thipperudrappa v. Lakshmidevi* (2023)।

05 सक्षम पति का नैतिक और कानूनी दायित्व

शारीरिक रूप से स्वस्थ और शिक्षित पति अपनी पत्नी के भरण-पोषण के नैतिक दायित्व से केवल यह कहकर नहीं बच सकता कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, *Kurban Ali v. State of U.P. and Another* (2023)।

06 बीएनएसएस 144 / CrPC 125 के तहत त्वरित अंतरिम राहत

अंतरिम भरण-पोषण के आवेदनों को नोटिस तामील होने की तारीख से अधिमानतः 60 दिनों के भीतर निपटाया जाना आवश्यक है ताकि आश्रित पक्षकार को तुरंत राहत मिल सके, *Sachin Gofane v. Babita Nayak* (2025)।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण	उच्चतम न्यायालय ने माना है कि भरण-पोषण सामाजिक न्याय का हिस्सा है। <i>Parvin Kumar Jain v. Anju Jain</i> (2024) में, न्यायालय ने पति द्वारा वित्तीय दस्तावेजों को छिपाने और संपत्तियों का गलत खुलासा करने पर सख्त रुख अपनाया तथा पत्नी के भरण-पोषण को बढ़ाकर 1,45,000 रुपये प्रति माह किया। इसी प्रकार, <i>Padmja Sharma v. Ratan Lal Sharma</i> (2000) में यह निर्धारित किया गया कि यदि दोनों माता-पिता कामकाजी हों, तो नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण का खर्च दोनों के वेतन के अनुपात में साझा किया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ	उच्च न्यायालयों ने पति की काल्पनिक दलीलों को खारिज करते हुए वास्तविक मूल्यांकन पर बल दिया है। उदाहरण के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने <i>Deepak v. State of U.P.</i> (2023) और <i>Umesh Kumar v. State of U.P.</i> (2023) में पतियों द्वारा स्वयं को मामूली 'हलवाई' या 'दैनिक मजदूर' बताने के दावों को खारिज कर दिया क्योंकि वे स्वस्थ और कार्य करने में सक्षम थे।
हाल का विकास	अदालतों ने यह स्पष्ट किया है कि बहुविध वैवाहिक कानूनों के तहत बार-बार गुजारा भत्ता देने की विसंगति से बचने के लिए, पूर्व में प्राप्त गुजारे भत्ते का बाद की कार्यवाही में "setoff" या समायोजन करना अनिवार्य है, <i>Balwan Singh v. Santosh Devi</i> (2024)।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

बिना किसी उचित कारण के अलगाव

यदि पत्नी बिना किसी वैध या उचित कारण के स्वैच्छिक रूप से पति का घर छोड़ देती है और अलग रहने लगती है, तो वह स्वयं के लिए गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं हो सकती है, यद्यपि नाबालिग बच्ची के अधिकारों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा कि *Ruhu Nurmina Bibi v. Hafjul Rahaman* (2023) में स्पष्ट किया गया है।

II. सांविधिक प्रावधान 4 प्रावधान

SECTION 144, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 — ORDER FOR MAINTENANCE OF WIVES, CHILDREN AND PARENTS

यह धारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को पर्याप्त साधन रखने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी उपेक्षित पत्नी, बच्चों या माता-पिता के लिए मासिक भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण तय करने की शक्ति देती है, और अंतरिम आवेदनों को नोटिस जारी होने के 60 दिनों के भीतर निपटाने का निर्देश देती है।

"Section 144. Order for maintenance of wives, children and parents

(1) If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain—

(a) his wife, unable to maintain herself; or

(b) his legitimate or illegitimate child, whether married or not, unable to maintain itself; or

(c) his legitimate or illegitimate child (not being a married daughter) who has attained majority, where such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself; or

(d) his father or mother, unable to maintain himself or herself,

a Magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such Magistrate thinks fit and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct:

Provided further that the Magistrate may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this sub-section, order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the Magistrate considers reasonable, and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct:

Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding under the second proviso shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of the service of notice of the application to such person.

Explanation.—For the purposes of this Chapter, "wife" includes a woman who has been divorced by, or has obtained a divorce from, her husband and has not remarried.

(2) Any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding shall be payable from the date of the order, or, if so ordered, from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be." उद्धृत:

Sachin Gofane v. Babita Nayak

SECTION 25, HINDU MARRIAGE ACT, 1955 — PERMANENT ALIMONY AND MAINTENANCE

यह धारा किसी भी वैवाहिक डिक्री को पारित करते समय या उसके बाद किसी भी समय, पत्नी या पति के आवेदन पर उनके जीवन स्तर, आय, आचरण और परिस्थितियों के आधार पर स्थायी गुजारा भत्ता या भरण-पोषण प्रदान करने की अदालत को शक्ति देती है।

"Section 25. Permanent alimony and maintenance

(1) Any court exercising jurisdiction under this Act may, at the time of passing any decree or at any time subsequent thereto, on application made to it for the purpose by either the wife or the husband, as the case may be, order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as, having regard to the respondents own income and other property, if any, the income and other property of the applicant, the conduct of the parties and other circumstances of the case, it may seem to the court to be just, and any such payment may be secured, if necessary, by a charge on the immovable property of the respondent." उद्धृत: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 24, HINDU MARRIAGE ACT, 1955 — MAINTENANCE PENDENTE LITE AND EXPENSES OF PROCEEDINGS

यह धारा मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी भी ऐसे जीवनसाथी को अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमेबाजी के खर्चों का दावा करने की अनुमति देती है जिसके पास कोई स्वतंत्र और पर्याप्त आय नहीं है।

"Section 24. Maintenance pendente lite and expenses of proceedings

Where in any proceeding under this Act it appears to the court that either the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding, it may, on the application of the wife or the husband, order the respondent to pay to the petitioner the expenses of the proceeding, and monthly during the proceeding such sum as, having regard to the petitioners own income and the income of the respondent, it may seem to the court to be reasonable.

Provided that the application for the payment of the expenses of the proceeding and such monthly sum during the proceeding, shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of service of notice on the wife or the husband, as the case may be." उद्धृत: Parvin Kumar Jain v. Anju Jain

SECTION 125, CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 — ORDER FOR MAINTENANCE OF WIVES, CHILDREN AND PARENTS

यह धारा पत्नियों, बच्चों और माता-पिता को गरीबी और लाचारी से बचाने के लिए एक त्वरित सारांश उपाय प्रदान करती है जिसके तहत पर्याप्त साधन रखने वाला व्यक्ति उनके भरण-पोषण के लिए बाध्य है।

"125. Order for maintenance of wives, children and parents.—(1) If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain — (a) his wife, unable to maintain herself, or (b) his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or (c) his legitimate or illegitimate child (not being a married daughter) who has attained majority, where such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or (d) his father or mother, unable to maintain himself or herself, a Magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such Magistrate thinks fit and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct:

Provided further that the Magistrate may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this sub-section, order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceeding which the Magistrate considers reasonable, and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct:

Provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding under the second proviso shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of the service of notice of the application to such person.

Explanation. —For the purposes of this Chapter, — (b) "wife" includes a woman who has been divorced by, or has obtained a divorce from, her husband and has not remarried." उद्धृत: Smt. Gulfisha Naaz v. Saiyad Sirazul Haq, Marryamma v. Shri Mani, Mohamed Sithick v. S.Razitha Begam, Harish Chand v. Sarita Devi, Niranjan Singh v. State of Jharkhand, Irshadul Haque v. Ateka Sowaid, Md. Irfan Iraqi v. The State of Jharkhand, G.C. Thipperudrappa v. Lakshmiddevi, Jamil Ahmed v. Khurshidan and Others, Shahzad Ali v. State of U.P., Deepak v. State of U.P., Umesh Kumar v. State of U.P., Kurban Ali v. State of U.P. and Another, Ravendra Kumar v. State of U.P., Geeta Sharma v. Banwari Lal Sharma, Ruhu Nurmina Bibi v. Hafijul Rahaman, Aliya Begum v. State of West Bengal

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Niranjan Singh v. State of Jharkhand</i> JHHC010121432019	HIGH COURT OF JHARKHAND	2023	गुजारा भत्ते का निर्धारण कोई निश्चित कठोर सूत्र नहीं है और पति के साधन महत्वपूर्ण हैं।
02	<i>Md. Irfan Iraqi v. The State of Jharkhand</i> JHHC010186842022	HIGH COURT OF JHARKHAND	2023	भरण-पोषण की राशि तय करते समय पति की वास्तविक क्षमता और महंगाई को देखना चाहिए।
03	<i>Smt. Gulfisha Naaz v. Saiyad Sirazul Haq</i> CGHC010079392024	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2024	भरण-पोषण कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है और इसका उद्देश्य जीवनसाथी को दरिद्रता से बचाना है।
04	<i>Marryamma v. Shri Mani</i> DLHC011646032018	HIGH COURT OF DELHI	2023	गुजारा भत्ते की पर्याप्तता ऐसी हो कि पत्नी सम्मानजनक और आरामदायक जीवन जी सके।
05	<i>Shashi Ahirwar v. State of U.P.</i> UPHC010717152021	ALLAHABAD HIGH COURT	2021	Rajnesh v. Neha* के मापदंडों के आधार पर पत्नी के मासिक गुजारा भत्ते का निर्धारण।
06	<i>Irshadul Haque v. Ateka Sowaid</i> JHHC010176802020	HIGH COURT OF JHARKHAND	2024	बच्चों और उपेक्षित पत्नी को भरण-पोषण देना पिता का पूर्ण और सामाजिक न्यायपूर्ण दायित्व है।
07	<i>Geeta Sharma v. Banwari Lal Sharma</i> WBCHCA0100752019	CALCUTTA HIGH COURT	2023	बहुविध कानूनी विवादों में ओवरलैपिंग भरण-पोषण राशि के समायोजन और प्रकटीकरण हलफनामे का अनुपालन।
08	<i>Balwan Singh v. Santosh Devi</i> PHHC010352592023	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2024	भरण-पोषण का उद्देश्य आश्रित जीवनसाथी को अत्यधिक भुखमरी और गरीबी से बचाना है।
09	<i>Ruhu Nurmina Bibi v. Hafijul Rahaman</i> WBCHCA0285112019	CALCUTTA HIGH COURT	2023	बिना किसी वैध कारण के स्वेच्छिक रूप से अलग रहने वाली पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं।
10	<i>Harish Chand v. Sarita Devi</i> HPHC010422682020	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2021	पत्नी की आत्मनिर्भरता की कमी और पति की उच्च आय भरण-पोषण में वृद्धि का आधार है।
11	<i>Sachin Gofane v. Babita Nayak</i> CGHC0323922025	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2025	BNSS धारा 144 के तहत अंतरिम भरण-पोषण का निर्धारण पति की वित्तीय क्षमता अनुसार न्यायसंगत है।
12	<i>Mohamed Sithick v. S.Razitha Begam</i> HCMD010751622023	MADRAS HIGH COURT	2023	विभिन्न कानूनों के तहत राहत के बीच समायोजन कर भरण-पोषण राशि का निर्धारण आवश्यक है।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
13	<i>G.C. Thipperudrappa v. Lakshmidevi</i> KAHC010249372018	HIGH COURT OF KARNATAKA	2023	अंतरिम भरण-पोषण के निर्धारण हेतु दोनों पक्षों द्वारा संपत्ति एवं आय प्रकटीकरण हलफनामा अनिवार्य है।
14	<i>Jaswant v. Rekha Rani</i> PHHC010323132025	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	कामकाजी होने मात्र से पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार और दावा समाप्त नहीं होता है।
15	<i>Aliya Begum v. State of West Bengal</i> WBCHCA0468392019	CALCUTTA HIGH COURT	2024	पत्नी की मामूली आय या कमाने की क्षमता उसके गुजारा भत्ते के अधिकार में बाधा नहीं।
16	<i>Rimpu Sharma v. Nisha</i> PHHC011081092024	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	भरण-पोषण सामाजिक कल्याणकारी उपाय है, न कि जीवनसाथी को दंडित करने का साधन।
17	<i>Parvin Kumar Jain v. Anju Jain</i> ESCR010006082024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	पति द्वारा जानबूझकर संपत्ति और वास्तविक आय छुपाने पर अदालतें गुजारा भत्ता बढ़ा सकती हैं।
18	<i>Jamil Ahmed v. Khurshidan and Others</i> PHHC010229522023	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	सक्षम और कमाऊ पति को पत्नी व बच्चों को भरण-पोषण देने का पूर्ण नैतिक दायित्व है।
19	<i>Padmja Sharma v. Ratan Lal Sharma</i> ESCR010001692000	SUPREME COURT OF INDIA	2000	कामकाजी माता-पिता होने पर बच्चों के भरण-पोषण का खर्च उनके वेतन के अनुपात में साझा होगा।
20	<i>Umesh Kumar v. State of U.P.</i> UPHC011482412022	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	दिहाड़ी मजदूर होने का दावा करने वाले सक्षम पति का भरण-पोषण का नैतिक दायित्व बना रहता है।
21	<i>Neeta Rakesh Jain v. Rakesh Jeetmal Jain</i> ESCR010007882010	SUPREME COURT OF INDIA	2010	अंतरिम भरण-पोषण तय करते समय पति की उच्च व्यावसायिक योग्यता और वास्तविक साधन महत्वपूर्ण हैं।
22	<i>Ravendra Kumar v. State of U.P.</i> UPHC012367632022	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	सक्षम संविदा कर्मचारी पति का अपनी पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण देने का दायित्व निरपेक्ष है।
23	<i>Kurban Ali v. State of U.P. and Another</i> UPHC012164812022	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	पर्याप्त साधनों वाले सक्षम पति का अपनी उपेक्षित पत्नी को भरण-पोषण देने का दायित्व अनिवार्य है।
24	<i>Shahzad Ali v. State of U.P.</i> UPHC010589782023	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	गुजारा भत्ता तय करते समय पति की आय, वास्तविक देनदारियों और आवश्यकताओं में संतुलन आवश्यक है।
25	<i>Deepak v. State of U.P.</i> UPHC011007242022	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	हलवाई का काम करने वाले सक्षम पति का पत्नी को भरण-पोषण देने का दायित्व बना रहता है।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Niranjan Singh v. State of Jharkhand

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2023-07-18

यह मामला एक वैवाहिक विवाद और भरण-पोषण (maintenance) से संबंधित है। पति ने परिवार न्यायालय, धनबाद के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे के लिए प्रति माह 13,000 रुपये का भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। पति का तर्क था कि उसे नोटिस नहीं मिला था और उसकी आय कम है, जबकि पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने उसे और बच्चे को त्याग दिया है और वह स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

निर्णय न्यायालय ने परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि भरण-पोषण तय करने का कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। अदालत को पक्षों की सामाजिक स्थिति, जरूरतों, स्वतंत्र आय और पति की वास्तविक क्षमता पर विचार करना चाहिए।

“However, so far as the quantum of maintenance amount is concerned, the same has to be decided on the basis of income of 12 petitioner. 26. It has been held in the case of Rajneesh Vs. Neha and Another reported in 2021 (2) SCC 324 at Para-77, 78, 79, 80, 112 and 113, which are as follows:- “Para-77:- The objective of granting interim/permanent alimony is to ensure that the dependent spouse is not reduced to destitution or vagrancy on account of the failure of the marriage, and not as a punishment to the other spouse. There is no straitjacket formula for fixing the quantum of maintenance to be awarded.”

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2023

स्रोत JHHC010121432019

02 Md. Irfan Iraqi v. The State of Jharkhand

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2023-12-20

यह मामला पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी द्वारा Section 125 of the Cr. P. C. के तहत दायर किए गए भरण-पोषण (maintenance) के दावे से संबंधित है। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने उन्हें प्रताड़ित किया और दहेज की मांग की, जिसके कारण वे अपने मायके में रहने को मजबूर हैं। दूसरी ओर, पति ने पत्नी के चरित्र पर संदेह जताते हुए भरण-पोषण देने से इनकार किया और अपनी सीमित आय का हवाला दिया। निचली अदालत ने साक्ष्यों पर विचार करते हुए पति को निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी को 6,000 रुपये और बेटी को 4,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करे। झारखंड उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के इस निर्णय को सही ठहराया और पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revision petition) को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि पति को प्रताड़ना के आरोपों के बाद अलग रह रही पत्नी और बेटी को भरण-पोषण देना होगा। न्यायालय ने *Rajneesh v. Neha* के मापदंडों का हवाला देते हुए दोहराया कि भरण-पोषण राशि व्यावहारिक और संतुलित होनी चाहिए।

“The respondent is directed to pay the maintenance of Rs.3,000/- per month to the appellant-wife as ordered by the Family Court and also pay the arrears of maintenance payable to the appellant-wife within the period of eight weeks.” 25. It has been held in the case of Rajneesh Vs. Neha and Another reported in 2021 (2) SCC 324 at Para-77, 78, 79, 80, 112 and 113, which are as follows:- “Para-77:- The objective of granting interim/permanent alimony is to ensure that the dependent spouse is not reduced to destitution or vagrancy on account of the failure of the marriage, and not as a punishment to the other spouse. There is no straitjacket formula for fixing the quantum of maintenance to be awarded.”

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2023

स्रोत JHHC010186842022

03 Smt. Gulfisha Naaz v. Saiyad Sirazul Haq

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2024-11-04

यह मामला पत्नी द्वारा Section 125 of the Code of Criminal Procedure के तहत दायर भरण-पोषण (maintenance) की याचिका से संबंधित है। Family Court ने पत्नी के दावों को खारिज कर दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस आदेश को पलट दिया। न्यायालय ने माना कि पत्नी द्वारा लगाए गए कूरता के आरोप, जिसमें उसे तंत्र-मंत्र (occult process) के लिए मजबूर करना शामिल था, उसे ससुराल छोड़ने के लिए उचित कारण प्रदान करते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 125 Cr.P.C. का उद्देश्य सामाजिक न्याय प्रदान करना और उपेक्षित पत्नी को निराश्रित होने से बचाना है। न्यायालय ने पति की वित्तीय स्थिति और जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए उसके भरण-पोषण के दायित्व को बरकरार रखा।

निर्णय न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए पत्नी के पक्ष में भरण-पोषण तय किया। न्यायालय ने कहा कि धारा 125 CrPC की प्रकृति संक्षिप्त है, और इसका मुख्य उद्देश्य उपेक्षित पत्नियों को आवारागर्दी और गरीबी से बचाना है।

“Again the Hon’ble Supreme Court in case of Rajnesh vs Neha {2021 (2) SCC 324} has considered the object of Section 125 Cr.P.C. and has held in paras 80 and 81 as under. ... 81. A careful and just balance must be drawn between all relevant factors. The test for determination of maintenance in matrimonial disputes depends on the financial status of the respondent, and the standard of living that the applicant was accustomed to in her matrimonial home.³⁶ The maintenance amount awarded must be reasonable and realistic, and avoid”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2024

स्रोत CGHC010079392024

04 Marryamma v. Shri Mani

HIGH COURT OF DELHI • 2023-04-06

यह मामला गुजारा भत्ता (maintenance) बढ़ाने की याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता पत्नी ने Section 127 of the Cr.P.C. के तहत Family Court में आवेदन किया था, यह तर्क देते हुए कि उसके पति की आय में वृद्धि हुई है। Family Court ने पत्नी के दावे को स्वीकार करते हुए गुजारा भत्ता 400 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।

निर्णय न्यायालय ने माना कि गुजारा भत्ता बढ़ाने की अर्जी में दोनों पक्षों की परिस्थितियों में हुए बदलावों का आकलन किया जाना चाहिए। भरण-पोषण न तो दंडात्मक होना चाहिए और न ही इतना कम कि पत्नी गरीबी में जीवन जीने को मजबूर हो जाए।

“The assessment and apportionment of the maintenance has to be done as per the Judgment of Rajnesh v. Neha, (2021) 2 SCC 324 while deciding maintenance under Section 125 Cr.P.C. ... The maintenance amount awarded must be reasonable and realistic, and avoid either of the two extremes i.e. maintenance awarded to the wife should neither be so extravagant which becomes oppressive and unbearable for the respondent, nor should it be so meagre that it drives the wife to penury. The sufficiency of the quantum has to be adjudged so that the wife is able to maintain herself with reasonable comfort.”

HIGH COURT OF DELHI • 2023

स्रोत DLHC011646032018

05

Shashi Ahirwar v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2021-09-15

यह मामला Family Court द्वारा Section 125 Cr.P.C. के तहत भरण-पोषण (maintenance) की राशि निर्धारित करने के खिलाफ दायर की गई एक पुनरीक्षण याचिका (revision petition) से संबंधित है। निचली अदालत ने प्रतिवादी पति को पत्नी के लिए 6,000 रुपये और एक गोद ली हुई बच्ची के लिए 4,000 रुपये देने का आदेश दिया था, जबकि बच्ची न तो पक्षकार थी और न ही उसने भरण-पोषण का दावा किया था। न्यायालय ने पाया कि पति द्वारा बच्ची को गोद लेने का कोई प्रमाण नहीं है। *Rajnesh vs. Neha and Others* के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, उच्च न्यायालय ने पत्नी के लिए मासिक भरण-पोषण की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया और बच्ची के लिए दिए गए आदेश को रद्द कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने *Rajnesh v. Neha* के मापदंडों का पालन करते हुए पत्नी के लिए भरण-पोषण की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गोद ली गई बच्ची के कानूनी साक्ष्य के अभाव में केवल पत्नी के दावे को ही स्वीकार किया जा सकता है।

"There is no straitjacket formula for fixing the quantum of maintenance to be awarded. \ " In Para-78 referring to the judgment of Supreme Court, it is held that \ "factors are factors which would weigh with the Court inter alia are the status of the parties; reasonable needs of the wife and dependant children; whether the applicant is educated and professionally qualified; whether the applicant has any independent source of income..."

ALLAHABAD HIGH COURT • 2021

स्रोत UPHC010717152021

06 Irshadul Haque v. Ateka Sowaid

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2024-03-21

यह मामला एक वैवाहिक विवाद से संबंधित है जिसमें पत्नी और बच्चों द्वारा दायर Section 125 of the Cr.P.C. के तहत भरण-पोषण (maintenance) याचिका को Family Court द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। पति ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने को तैयार है और वे स्वेच्छा से अलग रह रहे हैं। हालांकि, न्यायालय ने पति की दलीलों को खारिज कर दिया क्योंकि सबूतों से स्पष्ट था कि पति ने अपने परिवार के भरण-पोषण में उपेक्षा की थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के भरण-पोषण आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पत्नी को 10,000 रुपये और दोनों बच्चों को 5,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने माना कि पत्नी और बच्चों की आर्थिक स्थिति और पति की आय को देखते हुए यह राहत उचित है।

निर्णय न्यायालय ने माना कि बच्चों को भरण-पोषण प्रदान करने का मुस्लिम पिता का दायित्व निरपेक्ष है और यह किसी अन्य कानून से प्रभावित नहीं होता। भरण-पोषण का निर्धारण प्रत्येक मामले के साक्ष्य और पक्षों की आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए।

"The effect of a beneficial legislation like Section 125 CrPC, cannot be allowed to be defeated except through clear provisions of a statute. We do not find manifestation of any such intention in the 1986 Act to take away the independent rights of the children to claim maintenance under Section 125 CrPC where they are minor and are unable to maintain themselves. A Muslim father\'s obligation, like that of a Hindu father, to maintain his minor children as contained in Section 125 CrPC is absolute and is not at all affected by Section 3 (1)(b) of the 1986 Act."

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2024

स्रोत JHHC010176882020

07 Geeta Sharma v. Banwari Lal Sharma

CALCUTTA HIGH COURT • 2023-07-31

यह मामला घरेलू हिंसा (Protection of Women against Domestic Violence Act, 2005) के तहत अंतरिम भरण-पोषण (maintenance) की राशि बढ़ाने से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें भरण-पोषण की राशि को अपर्याप्त बताया गया था। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को अलग-अलग न्यायालयों से भरण-पोषण के आदेश प्राप्त हुए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने Supreme Court के Rajnesh vs. Neha मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह दोनों मंचों से प्राप्त भरण-पोषण की राशि का समायोजन करे और सभी तथ्यों पर विचार करते हुए मामले का शीघ्र निपटारा करे।

निर्णय न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि पत्नी द्वारा विभिन्न कानूनों के तहत अलग-अलग भरण-पोषण के दावे किए गए हैं, तो अदालतों को पूर्व आदेशों की राशि का समायोजन या "setoff" करना अनिवार्य है। दोनों पक्षों द्वारा प्रकटीकरण का हलफनामा दाखिल किया जाना चाहिए।

“(i) where successive claims for maintenance are made by a party under different statutes, the Court would consider an adjustment or setoff, of the amount awarded in the previous proceeding/s, while determining whether any further amount is to be awarded in the subsequent proceeding; (ii) (ii) it is made mandatory for the applicant to disclose the previous proceeding and the orders passed therein, in the subsequent proceeding;”

CALCUTTA HIGH COURT • 2023

स्रोत WBCHCA0100752019

08 Balwan Singh v. Santosh Devi

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2024-08-20

यह मामला Section 125 of the Cr.P.C. के तहत अंतरिम भरण-पोषण (interim maintenance) से संबंधित है। Family Court ने पत्नी को प्रतिमाह 5,000 रुपये का अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया था, जिसे पति ने चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता (पति) का तर्क था कि उसके पास आय के साधन नहीं हैं, लेकिन प्रतिवादी (पत्नी) ने आरोप लगाया कि उसके पास 7 एकड़ कृषि भूमि है। न्यायालय ने Rajnesh v. Neha के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि भरण-पोषण का उद्देश्य आश्रित जीवनसाथी को भुखमरी से बचाना है। चूंकि पति कोई ठोस आधार नहीं दिखा पाया, इसलिए न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी।

निर्णय न्यायालय ने पति की याचिका को खारिज करते हुए अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को बरकरार रखा। न्यायालय ने दोहराया कि आश्रित जीवनसाथी को भुखमरी से बचाना भरण-पोषण प्रावधान का प्राथमिक उद्देश्य है।

“The rival cord their actual respective earning at quantum of maintenance which is tus. The quantum of maintenance succour to the dependent spouse and mes of the maintenance being either er of the two is reduced to a life of allowance has to be determined by ing able to lead a life of reasonable”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2024

स्रोत PHHC010352592023

09 Ruhu Nurmina Bibi v. Hafijul Rahaman

CALCUTTA HIGH COURT • 2023-10-06

यह मामला Section 125 of the Code of Criminal Procedure के अंतर्गत गुजारे भत्ते (maintenance) से संबंधित है। याचिकाकर्ता पत्नी ने पति पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए भरण-पोषण की मांग की थी। निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने पत्नी का दावा खारिज कर दिया था, लेकिन उनकी नाबालिग बेटी के लिए 2,500 रुपये प्रति माह का गुजारा भत्ता मंजूर किया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि निचली अदालतों का यह निष्कर्ष सही था कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति के साथ रहने से इनकार कर रही थी। हालांकि, बच्ची की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए, न्यायालय ने गुजारे भत्ते की राशि बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति माह कर दी, जो अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगी।

निर्णय न्यायालय ने पाया कि चूंकि पत्नी बिना किसी वैध कारण के स्वेच्छिक रूप से अपने माता-पिता के घर रह रही थी, इसलिए उसका भरण-पोषण का दावा खारिज होना सही था। हालांकि, नाबालिग बेटी के कल्याण और शिक्षा के लिए भरण-पोषण की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया।

“In the present case, the wife/petitioner had been taken to her parents’ house for medical treatment but after that she has refused to return to her husband, without any just or sufficient cause, as rightly held by the Trial Court and the Appellate Court and as such the said findings require no interference by this court. 14. But the quantum of maintenance granted in favour of the minor daughter, who is now aged about 11 years is too low and accordingly the said amount is enhanced to a sum of Rupees 8000/-”

CALCUTTA HIGH COURT • 2023

स्रोत WBCHCA0285112019

10 Harish Chand v. Sarita Devi

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2021-06-26

यह मामला Section 127 Cr.P.C. के तहत भरण-पोषण (maintenance) राशि में वृद्धि से संबंधित है। मूल रूप से Section 125 Cr.P.C. के अंतर्गत पत्नी और बेटी को ₹2,000 प्रति माह की राशि आवंटित की गई थी। बढ़ती महंगाई और बेटी की शिक्षा के खर्चों का हवाला देते हुए, निचली अदालत ने इसे बढ़ाकर क्रमशः ₹10,000 और ₹20,000 कर दिया था, जिसे बाद में Appellate Court ने संशोधित कर ₹12,000 कर दिया। पति ने इस वृद्धि को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि उसकी आय कम है और उन पर कर्ज का बोझ है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पति की बैंक मैनेजर के रूप में उच्च आय को देखते हुए और यह पाते हुए कि पत्नी के पास आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है, याचिका को खारिज कर दिया और भरण-पोषण बढ़ाने के निर्णय को सही ठहराया।

निर्णय न्यायालय ने बैंक मैनेजर के रूप में कार्यरत पति द्वारा गुजारा भत्ते में वृद्धि के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि धारा 127 CrPC के तहत भरण-पोषण राशि में परिवर्तन का अधिकार मजिस्ट्रेट को है।

“The orders passed previously under Section 125 Cr.P.C. are not under challenge. The respondents are only seeking enhancement in the maintenance amount awarded to them on 18.12.2010 in proceedings under Section 125 Cr.P.C. ... Section 127 Cr.P.C. discloses legislative intent where the Magistrate is empowered to alter an order passed under Section 125 Cr.P.C. Sub Section (2) of Section 127 Cr.P.C. also empowers the Magistrate to cancel or vary an order”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2021

स्रोत HPHC010422682020

11 Sachin Gofane v. Babita Nayak

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2025-07-29

यह मामला पति द्वारा दायर की गई एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (criminal revision) से संबंधित है, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें पत्नी को 6,000 रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण (interim maintenance) देने का निर्देश दिया गया था। पति ने पत्नी की आय का हवाला देते हुए भरण-पोषण राशि को कम करने की मांग की थी। न्यायालय ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने पति की आय, आर्थिक स्थिति और जीवन यापन के खर्चों जैसे सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद ही यह आदेश पारित किया था। उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई और पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही, संबंधित फैमिली कोर्ट को Section 144 of the B.N.S.S. के तहत कार्यवाही को तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

निर्णय न्यायालय ने फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को दिए गए 6,000 रुपये प्रति माह के अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को उचित ठहराया। न्यायालय ने माना कि अंतरिम राहत तय करते समय पति की आय, पक्षकारों की सामाजिक स्थिति और जीवन यापन के खर्चों का संतुलन सही था।

“From perusal of the impugned order, it transpires that the learned Family Court after hearing both the parties, decided the matter and passed the impugned order dated 16.07.2025, whereby it has partly allowed the application and the applicant was directed to pay a sum of Rs. 6000/- per month as maintenance to the non-applicant/wife. While passing the said order, the learned Family Court had taken into account various relevant factors, including the income of the applicant/husband, the social and economic status of both parties...”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2025

स्रोत CGHC0323922025

12 Mohamed Sithick v. S.Razitha Begam

MADRAS HIGH COURT • 2023-11-02

यह मामला पत्नी और बेटी द्वारा Section 125 of Cr.P.C. के तहत दायर भरण-पोषण (maintenance) याचिका से संबंधित है। पति ने तर्क दिया कि चूंकि पत्नी ने पहले ही Domestic Violence Act के तहत एक मामला (D.V.C.No.122 of 2016) दायर किया है और वहां भरण-पोषण प्राप्त कर रही है, इसलिए यह नई याचिका maintainable नहीं है। उच्च न्यायालय ने Rajnesh v. Neha मामले में Supreme Court के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि पत्नी विभिन्न कानूनों के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है और पूर्व की कार्यवाही में प्राप्त राशि को बाद की याचिका में तय करते समय समायोजित किया जा सकता है। न्यायालय ने पति की आय और जीवन स्तर को देखते हुए Family Court द्वारा निर्धारित ₹30,000 के भरण-पोषण को सही ठहराया और याचिका खारिज कर दी।

निर्णय न्यायालय ने दोहराया कि पत्नी द्वारा विभिन्न कानूनों (जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम और CrPC धारा 125) के तहत दायर भरण-पोषण याचिकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। बाद की कार्यवाही में पूर्व में दिए गए आदेशों का समायोजन किया जाना चाहिए।

“The Hon'ble Supreme Court in the case of Rajnesh Vs. Neha reported in 2021 2 SCC 324 held that in the event of filing of maintenance petition, subsequent to the order passed in the D.V .C., proceedings , the Court has no jurisdiction to dismissed the petition as not maintainable If maintenance is awarded to the wife in a previously instituted proceeding, she is under a legal obligation to disclose the same in a subsequent proceeding f or maintenance”

MADRAS HIGH COURT • 2023

स्रोत HCMD010751622023

13 G.C. Thipperudrappa v. Lakshmid devi

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023-03-10

यह मामला पति द्वारा अपनी पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण (interim maintenance) देने के निचले न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के बारे में था। पति का तर्क था कि उसका वेतन कम है और पत्नी ने पहले ही Cr.P.C. की Section 125 के तहत भरण-पोषण का एक और दावा दायर किया हुआ है, जिससे भरण-पोषण के दावों का दोहराव हो रहा है। उच्च न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत का निर्णय बिना पर्याप्त वित्तीय जानकारी के लिया गया था। न्यायालय ने Rajnesh v. Neha मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, पिछले आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस भेज दिया। दोनों पक्षों को अपनी संपत्ति और आय का खुलासा करने वाला हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है ताकि भरण-पोषण राशि का निष्पक्ष निर्धारण हो सके।

निर्णय न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत का अंतरिम भरण-पोषण का आदेश बिना पर्याप्त वित्तीय जानकारी और प्रकटीकरण हलफनामे के पारित किया गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को अपनी संपत्ति और आय के विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामला वापस भेज दिया।

“While there is a tendency on the part of the wife to exaggerate her needs, there is a corresponding tendency by the husband to conceal his actual income. It has therefore become necessary to lay down a procedure to streamline the proceedings, since a dependent wife... (b) Payment of Interim Maintenance The Affidavit of Disclosure of Assets and Liabilities annexed as Enclosures I, II and III of this judgment, as may be applicable, shall be filed by both parties in all maintenance proceedings...”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023

स्रोत KAHC010249372018

14 Jaswant v. Rekha Rani

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-03-19

यह मामला पति द्वारा Family Court, Palwal के उस आदेश को चुनौती देने से संबंधित है जिसमें पत्नी को Section 125 of the Cr.P.C. के तहत 15,000 रुपये प्रति माह का भरण-पोषण (maintenance) प्रदान किया गया था। पति का तर्क था कि पत्नी स्वयं सक्षम और कार्यरत है, इसलिए वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है। उच्च न्यायालय ने पाया कि पति भारतीय सेना में हवलदार है और उसकी मासिक आय 86,000 रुपये है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पत्नी का कार्यरत होना उसे भरण-पोषण का दावा करने से अयोग्य नहीं बनाता। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई और पति की याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पत्नी का केवल कार्यरत या कमाऊ होना उसे भरण-पोषण प्राप्त करने से अयोग्य नहीं बनाता। न्यायालय ने पति की भारतीय सेना में नौकरी और 86,000 रुपये की मासिक आय को देखते हुए पत्नी को 15,000 रुपये प्रति माह देने के आदेश को बरकरार रखा।

“The provisions in Section 125 are intended to achieve this special purpose. The dominant purpose behind the benevolent provisions contained in Section 125 clearly is that the wife, child and parents should not be left in a helpless state of distress, destitution and starvation.” 8. The rival claimants must scrupulously bring on record their actual respective earning capacities in order for the Court to arrive at quantum of maintenance which is just and fair in terms of principle of equistatus.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC010323132025

15 Aliya Begum v. State of West Bengal

CALCUTTA HIGH COURT • 2024-04-08

यह मामला एक वैवाहिक विवाद से संबंधित है जिसमें पत्नी ने भरण-पोषण (maintenance) की राशि बढ़ाने के लिए रिविजनल आवेदन दायर किया था। याचिकाकर्ता पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया और उसके Stridhan पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ अपने मायके में रहने लगी। निचली अदालत ने उसे प्रति माह 3,000 रुपये का अंतरिम भरण-पोषण दिया था, जिसे उसने अपर्याप्त बताते हुए चुनौती दी। न्यायालय ने Rajnesh v. Neha & Anr. मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए दोहराया कि भरण-पोषण का उद्देश्य आश्रित जीवनसाथी को गरीबी से बचाना है। न्यायालय ने मामले को पुनः सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया ताकि नए मानदंडों के अनुसार उचित राशि तय की जा सके।

निर्णय न्यायालय ने दोहराया कि पत्नी के कार्यरत होने या कमाने की मामूली क्षमता मात्र से उसका भरण-पोषण का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। गुजारा भत्ता इतना होना चाहिए कि पत्नी अपने पति के समान जीवन स्तर को बनाए रख सके।

“Where wife is earning some income The Courts have held that if the wife is earning, it cannot operate as a bar from being awarded maintenance by the husband. ... In Shailja and Anr. v. Khobbanna, this Court held that merely because the wife is capable of earning, it would not be a sufficient ground to reduce the maintenance awarded by the Family Court. The Court has to determine whether the income of the wife is sufficient to enable her to maintain herself, in accordance with the lifestyle of her husband in the matrimonial home.”

CALCUTTA HIGH COURT • 2024

स्रोत WBCHCA0468392019

16 Rimpu Sharma v. Nisha

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-05-12

यह मामला अंतरिम भरण-पोषण (interim maintenance) के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका (revision petition) से संबंधित है। फैमिली कोर्ट, पानीपत ने याचिकाकर्ता (पति) को प्रतिवादी (पत्नी) को 6,000 रुपये प्रति माह और उनके दो बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह प्रत्येक के हिसाब से देने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह राशि बहुत अधिक है और उसकी आय (42,881 रुपये) और व्यय (35,000 रुपये) के अनुपात में नहीं है। न्यायालय ने Section 125 Cr.P.C. के तहत भरण-पोषण के सामाजिक उद्देश्यों पर बल देते हुए स्पष्ट किया कि उद्देश्य आश्रितों को निराश्रित होने से बचाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रावधान किसी एक पक्ष को दंडित करने का हथियार न बने।

निर्णय न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही माना जिसमें पति को पत्नी और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता देने का निर्देश था। न्यायालय ने जोर दिया कि भरण-पोषण की कार्यवाही का उद्देश्य आश्रितों को सुरक्षा देना है, न कि दूसरे पक्ष को पीड़ित करना।

“Another objective the legislature has sought to achieve by pendent lite to the applicant emerging out of matrimonial disputes so that she/he can maintain herself/himself, have sufficient funds to pursue and not suffer at the instance of the affluent spouse. There is a general tendency on the part of the wife to conceal his actual income, making it difficult to determine the earning capacity of the rival”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC011081092024

17 Parvin Kumar Jain v. Anju Jain

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-12-10

यह मामला पति और पत्नी के बीच गुजारा भत्ता (maintenance) के विवाद से संबंधित है, जो दो दशकों से अधिक समय से अलग रह रहे थे। न्यायालय ने माना कि पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध पूरी तरह से टूट चुके हैं और आपसी सहमति से तलाक को मंजूरी दी। चूंकि पति एक उच्च वेतनभोगी पेशेवर (CEO) है और पत्नी बेरोजगार है, इसलिए न्यायालय ने Article 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्नी को 5 करोड़ रुपये का एकमुश्त निपटान (permanent alimony) और उनके बेटे की शिक्षा व सुरक्षा के लिए 1 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक याचिका वापस लेने से गुजारा भत्ते की कार्यवाही समाप्त नहीं होती, क्योंकि Section 24 और Section 26 of the Hindu Marriage Act, 1955 स्वतंत्र हैं।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने माना कि पति द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति और संपत्तियों (जैसे निवेश और किराए की आय) का जानबूझकर प्रकटीकरण न करना और गलत बयानबाजी करना न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह करने का गंभीर प्रयास था। पत्नी के अंतरिम भरण-पोषण को बढ़ाकर 1,45,000 रुपये किया गया।

“Reaffirming its position, the High Court underscored that the provisions under Sections 24 and 26 of the HMA serve distinct and independent purposes—one ensuring financial support for the dependent spouse and the other protecting the welfare of minor children. ... This Court highlighted that a husband cannot evade his duty of disclosure by concealing assets, as financial transparency is critical to the fair adjudication of maintenance claims.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010006082024

18 Jamil Ahmed v. Khurshidan and Others

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-09-23

यह मामला Section 125 Cr.P.C. के तहत Family Court द्वारा पत्नी और बच्चों को मासिक भरण-पोषण (maintenance) भत्ता देने के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका से संबंधित है। पति ने तर्क दिया कि उसने पत्नी को तलाक दे दिया था और वह पुनर्विवाहित है, इसलिए वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि तलाक और पत्नी के पुनर्विवाह के दावे किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित नहीं हुए थे। इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि पति एक सरकारी कर्मचारी है और पत्नी के पास आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने पति की दलीलों को खारिज कर दिया और Family Court के भरण-पोषण आदेश को बरकरार रखा।

निर्णय न्यायालय ने तलाक और पत्नी के पुनर्विवाह के अपुष्ट दावों को खारिज करते हुए सरकारी कर्मचारी पति के भरण-पोषण दायित्व को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

“The provisions in Section 125 are intended to achieve this special purpose. The dominant purpose behind the benevolent provisions contained in Section 125 clearly is that the wife, child and parents should not be left in a helpless state of distress, destitution and starvation.” 9. The rival claimants must scrupulously bring on record their actual respective earning capacities...”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC010229522023

19 Padmja Sharma v. Ratan Lal Sharma

SUPREME COURT OF INDIA • 2000-03-28

यह मामला माता-पिता द्वारा अपने नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण (maintenance) के दायित्व से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 की धारा 20 के तहत, केवल पिता ही नहीं, बल्कि माता भी अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए समान रूप से जिम्मेदार है।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने माना कि बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी केवल पिता की नहीं बल्कि कामकाजी माता की भी होती है। दोनों पक्षों की वेतन क्षमता के आधार पर खर्चों को यथानुपात (इस मामले में 2/3 और 1/3) विभाजित किया जाना चाहिए।

“During the course of hearing we have been told that the husband is employed as a clerk in the Reserve Bank of India while the appellant-wife is a lecturer in a Government college in Rajasthan... Maintenance has not been defined in the Act or between the parents whose duty it is to maintain the children. Hindu Marriage Act, 1955, Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 and Hindu Succession Act, 1956 constitute a law in a coded form for the Hindus. All these Act are to be read in conjunction with one another and interpreted accordingly.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2000

स्रोत ESCR010001692000

20 Umesh Kumar v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-03-29

इस मामले में पुनरीक्षणकर्ता (revisionist) ने Section 125 CrPC के तहत निचली अदालत द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे अपनी पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण (maintenance) देने का निर्देश दिया गया था। पुनरीक्षणकर्ता का तर्क था कि वह एक दिहाड़ी मजदूर है और निर्धारित राशि का भुगतान करने में असमर्थ है। न्यायालय ने Rajnesh v. Neha और अन्य संबंधित निर्णयों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि एक सक्षम व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण देने के अपने नैतिक दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार किया था और पुनरीक्षणकर्ता वास्तव में भुगतान करने में सक्षम है। तदनुसार, इस पुनरीक्षण याचिका को गुणहीन मानते हुए खारिज कर दिया गया।

निर्णय न्यायालय ने पति के इस तर्क को खारिज किया कि वह केवल एक दैनिक वेतन भोगी मजदूर है, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के नाते वह अपनी पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण देने के नैतिक कर्तव्य से बच नहीं सकता।

“Learned counsel for the revisionist-applicant has submitted that the revisionist-applicant is a daily wage labour, as such, he has limited means and is unable to provide maintenance fixed by the court to his wife and children... In Rajnesh v. Neha and another, (2021) 2 SCC 324, their Lordships of the Supreme Court have laid down the criteria for determining the quantum of maintenance... The plea of the husband that he does not possess any source of income ipso facto does not absolve him of his moral duty to maintain his wife if he is able-bodied and has educational qualifications.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC011482412022

21 Neeta Rakesh Jain v. Rakesh Jeetmal Jain

SUPREME COURT OF INDIA • 2010-07-20

यह मामला Hindu Marriage Act, 1955 की Section 24 के अंतर्गत पत्नी द्वारा माँगे गए अंतरिम भरण-पोषण (interim maintenance) से संबंधित है। पत्नी ने High Court द्वारा निर्धारित 12,000 रुपये प्रति माह की राशि को अपर्याप्त बताते हुए चुनौती दी थी। Supreme Court ने माना कि High Court ने पति की वास्तविक आर्थिक स्थिति और उसकी उच्च योग्यता पर विचार नहीं किया। पति एक CA, ICWA और CIMA डिग्रीधारी है और उसने स्वेच्छा से अपनी कंपनी शुरू की थी, इसलिए उसका केवल 30,000 रुपये मासिक आय का दावा अविश्वसनीय है। न्यायालय ने High Court के आदेश को रद्द कर दिया और उसे निर्देश दिया कि पत्नी के भरण-पोषण आवेदन पर सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार किया जाए।

निर्णय न्यायालय ने पाया कि उच्च योग्य पेशेवर (सीए, आईसीडब्ल्यूए) पति का कंपनी से मात्र 30,000 रुपये मासिक आय होने का दावा अविश्वसनीय था। न्यायालय ने माना कि अंतरिम राहत का निर्धारण करने में पति की वास्तविक अर्जन क्षमता का निष्पक्ष मूल्यांकन आवश्यक है।

“Since an order for interim maintenance by its very nature is temporary, a detailed and elaborate exercise by the court may not be necessary, but, at the same time, the court B has got to take all the relevant factors into account and arrive at a proper amount having regard to the factors which are mentioned in the statute. ... In a case such as the present one, the stand of the C husband that he is drawing salary of Rs. 30,000/- per month from the company since August 2005 is inherently improbable. The husband is highly qualified; he is CA, ICWA...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2010

स्रोत ESCR010007882010

22 Ravendra Kumar v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-03-27

यह मामला Section 125 CrPC के तहत भरण-पोषण (maintenance) के आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (criminal revision) से संबंधित है। पुनरीक्षणकर्ता ने तर्क दिया था कि वह एक गरीब संविदा कर्मचारी है और उसके पास पत्नी और बेटी को 5,000 रुपये प्रति माह देने के साधन नहीं हैं। हालांकि, न्यायालय ने रिकॉर्ड और साक्ष्यों के आधार पर पाया कि पुनरीक्षणकर्ता की मासिक आय 1,00,000 रुपये है और वह अपनी पत्नी तथा बेटी का भरण-पोषण करने में सक्षम है। न्यायालय ने *Rajnish v. Neha* के सिद्धांतों का पालन करते हुए निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया और याचिका को मेरिट के अभाव में खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने पाया कि अनुबंध कर्मचारी होने का दावा करने वाले पति की मासिक आय वास्तव में 1,00,000 रुपये थी। न्यायालय ने *Rajnish v. Neha* के तहत स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, पति की वास्तविक आय के आधार पर पत्नी और पुत्री को प्रति माह 5,000 रुपये देने के आदेश को सही ठहराया।

“Learned counsel for the revisionist-applicant has submitted that the revisionist-applicant is a poor contractual employee, as such, he has limited means and is unable to provide maintenance fixed by the court to his wife and daughter and as such, impugned order passed by the court below is bad in the eyes of law being too excessive. In *Rajnish v. Neha* and another, (2021) 2 SCC 324, their Lordships of the Supreme Court have laid down the criteria for determining the quantum of maintenance... The plea of the husband that he does not possess any source of income ipso facto does not absolve him of his moral duty to maintain his wife if he is able-bodied and has educational qualifications.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC012367632022

23 Kurban Ali v. State of U.P. and Another

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-04-06

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (criminal revision) Kurban Ali द्वारा निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसमें उन्हें अपनी पत्नी को Section 125 CrPC के तहत 7,000 रुपये का मासिक भरण-पोषण (maintenance) देने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वह एक गरीब किसान है और यह राशि बहुत अधिक है। न्यायालय ने *Rajnish v. Neha* मामले में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख किया और स्पष्ट किया कि भरण-पोषण का उद्देश्य आश्रित जीवनसाथी को निराश्रित होने से बचाना है। रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, न्यायालय ने

पाया कि याचिकाकर्ता के पास आय के साधन हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास अपनी जीविका का कोई साधन नहीं है। तदनुसार, न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि पति का यह दावा कि वह एक गरीब किसान है, उसे उसकी उपेक्षित पत्नी को भरण-पोषण देने के कानूनी और नैतिक दायित्व से मुक्त नहीं करता। न्यायालय ने 7,000 रुपये मासिक भरण-पोषण के आदेश को सही पाया।

“Learned counsel for the revisionist-applicant has submitted that the revisionist-applicant is poor farmer, as such, he has limited means and is unable to provide maintenance fixed by the court to his wife... In *Rajnish v. Neha and another*, (2021) 2 SCC 324, their Lordships of the Supreme Court have laid down the criteria for determining the quantum of maintenance... The plea of the husband that he does not possess any source of income ipso facto does not absolve him of his moral duty to maintain his wife...”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC012164812022

24 Shahzad Ali v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-04-04

यह मामला Section 125 CrPC के अंतर्गत भरण-पोषण (maintenance) के आदेश को चुनौती देने वाली एक Criminal Revision से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत द्वारा अपनी पत्नी और बच्चे के लिए निर्धारित भरण-पोषण राशि को अत्यधिक बताते हुए चुनौती दी थी। न्यायालय ने *Rajnish v. Neha and another* जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि भरण-पोषण तय करते समय पति की आय, जीवन स्तर और पत्नी की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के पास आय के पर्याप्त साधन हैं और वह अपनी पत्नी व बच्चे का भरण-पोषण करने में सक्षम है। तदनुसार, न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए इस Revision याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत पति पर्याप्त आय रखता है और वह अपनी पत्नी और बच्चे को भरण-पोषण देने के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। फैमिली कोर्ट द्वारा निर्धारित राशि को संतुलित और उचित ठहराया गया।

“Learned counsel for the revisionist-applicant has submitted that the revisionist-applicant is working as a ‘Safai Karmi’ in Government Department, as such, he has limited means and is unable to provide maintenance... In *Rajnish v. Neha and another*, (2021) 2 SCC 324, their Lordships of the Supreme Court have laid down the criteria for determining the quantum of maintenance...”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC010589782023

25 Deepak v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-04-07

यह मामला Section 125 CrPC के अंतर्गत गुजारा भत्ता (maintenance) से संबंधित है। रिवीजनिसट ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी पत्नी को 5,000 रुपये मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। रिवीजनिसट ने दलील दी कि वह एक 'हलवाई' है और उसके पास सीमित साधन हैं। न्यायालय ने *Rajnish v. Neha and another* के दिशा-निर्देशों का संदर्भ लेते हुए स्पष्ट किया कि गुजारा भत्ता निर्धारित करते समय पति की आय, उसकी भुगतान क्षमता और पत्नी की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। न्यायालय ने पाया कि रिवीजनिसट सक्षम है और उसने अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने में लापरवाही की है। अतः, न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि 'हलवाई' के रूप में कार्य करने वाला शारीरिक रूप से सक्षम पति अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने के अपने नैतिक और कानूनी दायित्व से पीछे नहीं हट सकता। न्यायालय ने 5,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ते के आदेश को बरकरार रखा।

"Learned counsel for the revisionist-applicant has submitted that the revisionist-applicant is a '\Halwai\'', as such, he has limited means and is unable to provide maintenance fixed by the court to his wife... In Rajnesh v. Neha and another, (2021) 2 SCC 324, their Lordships of the Supreme Court have laid down the criteria for determining the quantum of maintenance... The plea of the husband that he does not possess any source of income ipso facto does not absolve him of his moral duty to maintain his wife..."

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC011007242022

अस्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।